



भा.कृ.अनु.प.-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान

नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

ICAR-Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)

Tel. No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 233 & 256) Fax. No. (0755) 2733310



सामान्य भविष्य निधि से आंशिक निकासी के लिए आवेदन

APPLICATION FOR PART WITHDRAWAL FROM GENERAL PROVIDENT FUND

1.	अंशदाता का नाम (Name of subscriber) पदनाम (Designation)	:	
2.	प्रभाग (Division) कार्यालय का नाम (Name of office)	:	
3.	जीपीएफ खाता संख्या (GPF Account Number)	:	
4.	मूल वेतन Basic Pay and Level	:	
5.	सेवाग्रहण करने एवं सेवानिवृत्ति की तिथि Date of joining service and the date of Superannuation	DoJ : DoS :	
6.	आवेदन की तिथि को अंशदाता के खाते में जमा बकाया राशि निम्नानुसार है :- Balance at credit of the subscriber on the date of application as below :-		
	i) वित्तीय वर्ष के जीपीएफ प्रपत्र अनुसार अंतः शेष राशि Closing balance as per GPF statement for the FY	:	
	ii) मार्च,से तक मासिक अंशदान के रूप में जमा राशि Credit from March, to on account of monthly subscriptions.		
	iii) अंतः के बाद रिफंड..... के रूप में खाते में जमा Refund due to the Fund after the closing balance vide(i) above		
	iv) उपरोक्त अवधि में खाते में से निकाली गई राशि Withdrawal during the period		
	v) आवेदन की तिथि को खाते में जमा शुद्ध जमा राशि Net balance at credit on date of application		
7.	राशि जिसकी निकासी के लिए आवेदन किया है Amount of withdrawal required		
8.	उद्येय जिसके लिए जीपीएफ आंशिक निकासी के लिए आवेदन दिया है Purpose for which GPF P/W has been requested		
	नियम जिसके अंतर्गत अनुरोध देय है Rule under which the request is covered		
9.	क्या पूर्व में इस उद्येय के लिए कोई निकासी की है, यदि हां तो राशि एवं वर्ष का उल्लेख करें Whether any withdrawal was taken for the same purpose earlier. If so, indicate the amount and the year.		
10.	भविष्य निधि खाते का संधारण करने वाले लेखा अधिकारी का नाम/Name of the Account Officer maintaining the Provident Fund Account	वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी SFAO/F&AO	

दिनांक / Date :

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of the Applicant

प्रति (To) :

आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को आवष्यक कार्रवाई हेतु।